# बिहार सरकार
## मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
## आदेश

पटना, दिनांक.....

श्री चौधरी सूर्यभूषण, निरीक्षक मद्यनिषेध (जन्म तिथिः–11.12.1968) के विरुद्ध गोपालगंज पदस्थापन अवधि में छापेमारी के मानदंडों का अनुपालन नहीं करने, चेकपोस्ट से काफी दूर स्थल पर छापेमारी करने, छापेमारी की सूचना वरीय पदाधिकारी को नहीं दिये जाने, छापेमारी में उत्पाद कर्मियों के स्थान पर अनाधिकृत व्यक्तियों को छापेमारी में भेजे जाने एवं अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण एक गृह रक्षक की मृत्यु हो जाने का मामला प्रकाश में आया।

2. मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश से विभागीय आदेश सं0–4792 दिनांक 19.08.2025 द्वारा श्री सूर्यभूषण को निलंबित किया गया एवं इनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित करने का निर्णय लिया गया।

3. गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–5727 दिनांक 03.10.2025 द्वारा श्री सूर्यभूषण से बचाव बयान की मॉग की गई। इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें श्री दीनबंधु, उपायुक्त मद्यनिषेध, सारण प्रमंडल, छपरा को संचालन पदाधिकरी एवं श्री जनार्दन प्रसाद, निरीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज को प्रस्तुतीकरण पदाधिकरी नामित किया गया।

4. उपायुक्त मद्यनिषेध, सारण प्रमंडल, छपरा–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–10 दिनांक 27.01.2026 द्वारा श्री सूर्यभूषण, निलंबित निरीक्षक मद्यनिषेध के विरुद्ध जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन का मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः–

'' अभिलेख के सम्यक परीक्षण, उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 16.08.2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर श्री चौधरी सूर्यभूषण, निरीक्षक मद्यनिषेध–सह–प्रभारी, बलथरी चेकपोस्ट, गोपालगंज द्वारा अवैध शराब के परिवहन से संबंध में प्राथमिक सत्यापन हेतु कार्रवाई किया जाना था।

अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि छापेमारी दल को चेकपोस्ट से कुछ ही दूरी के स्थल पर भेजा गया, जबकि उक्त कार्रवाई में किसी मद्यनिषेध पदाधिकारी की प्रत्यक्ष उपस्थिति अथवा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई थी। साथ ही, छापेमारी दल में प्रतिनियुक्त किये जाने वाले कर्मियों के संबंध में स्पष्ट एवं लिखित आदेश अभिलेखों में उपलब्ध नहीं हैं जिससे यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है कि दल का गठन विभागीय मानकों के अनुरुप किया गया था अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त, उक्त कार्रवाई की सूचना वरीय पदाधिकारी को समयोचित रुप से नहीं दी गई, जो कि निर्धारित प्रकिया के अनुसार अपेक्षित था।

सत्यापन की प्रकिया के दौरान एक आकस्मिक एवं दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें गृह रक्षक अभिषेक कुमार की मृत्यु हो गई। यह घटना अनपेक्षित थी। तथापि, घटना के पश्चात् संबंधित पदाधिकारी द्वारा घायल कर्मी को तत्काल अस्पताल पहुॅचाने तथा विधिसम्मत रुप से

प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि घटना को छिपाने अथवा तथ्यों को दबाने की कोई मंशा नहीं थी।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेखों के सम्यक परीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री चौधरी सूर्यभूषण द्वारा की गई कार्रवाई में छापेमारी कार्य के प्रारंभिक चरण में वरीय पदाधिकारी को सूचित न किये जाने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से जानबूझकर नियमों की अवहेलना किये जाने का कोई स्पष्ट प्रमाण परिलक्षित नहीं होता है। तथापि, छापेमारी एवं सत्यापन की प्रकिया के दौरान सतर्कता, निर्धारित प्रकियाओं के अनुपालन तथा विभागीय समन्वय की कमी अवश्य परिलिक्षित होती है।

अतएव आरोपित पदाधिकारी, श्री चौधरी सूर्यभूषण, निरीक्षक मद्यनिषेध–सह–प्रभारी, बलथरी चेकपोस्ट, गोपालगंज पर लगाया गया आरोप आंशिक रुप से प्रमाणित होता है। ''

5. प्रमाणित आरोप के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (3) के अंतर्गत विभागीय पत्रांक–974 दिनांक 12.02.2026 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मॉग की गई। श्री सूर्यभूषण द्वारा समर्पित बचाव बयान में प्रतिवेदित किया गया कि सूचना अचानक प्राप्त होने तथा सूचना असत्यापित रहने के कारण वरीय पदाधिकरी को सूचना नहीं दी जा सकी। सत्यापन पश्चात् सूचना की पुष्टि होने पर वरीय पदाधिकारी को मेरे द्वारा अवश्य ही तुरंत अवगत कराया जाता, परंतु समस्त परिस्थितियॉ अचानक उत्पन्न हुई थी। मेरे पूरे सेवा इतिहास में आज तक किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं रहा है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा कार्य के प्रारंभिक चरण में वरीय पदाधिकारी को सूचित नहीं किया गया एवं छापेमारी के सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित सतर्कता, छापेमारी के मानदंडों एवं नियम का अनुपालन नहीं किया गया। मात्र दो गृह रक्षक (अभिषेक कुमार एवं रंजन कुमार) के साथ डॉग हैण्डलर, जितेन्द्र कुमार एवं हैण्ड हेल्ड स्कैनर, राजेश कुमार को छापेमारी/तथाकथित सूचना के सत्यापन हेतु भेजा गया। अनाधिकृत व्यक्ति डॉग हैण्डलर, जितेन्द्र कुमार एवं हैण्ड हेल्ड स्कैनर, राजेश कुमार को छापेमारी/तथाकथित सूचना के सत्यापन हेतु भेजा गया जो नियमानुकूल नहीं है। छापेमारी/सूचना के सत्यापन में किसी भी मद्यनिषेध पदाधिकारी/कर्मी का शामिल नहीं होना इनके कार्यकलाप को संदेहास्पद बनाता है। इनके अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ही गृह रक्षक, अभिषेक कुमार की मृत्यु हुई है। अतएव इनका बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

समुचित विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री चौधरी सूर्यभूषण, निंलबित निरीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज को निलंबन से मुक्त करते हुए (निलंबन अवधि में मुख्यालय–ग्रुप सेंटर, भागलपुर) इनके विरुद्ध संचयात्मक प्रभाव से 02 वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने का शास्ति अधिरोपित किया गया है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में श्री श्री चौधरी सूर्यभूषण, निंलबित निरीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज सम्प्रति ग्रुप सेंटर, भागलपुर को निलंबन से मुक्त करते हुए इनके विरुद्ध संचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने का शास्ति अधिरोपित किया जाता है।

7. इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक– 8/अरा0 उत्पाद आरोप–41/2025 1744 दिनांक– 19.03.26

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर एवं गोपालगंज/सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, भागलपुर/अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज/प्रभारी पदाधिकारी, ग्रुप सेंटर, भागलपुर/प्रशाखा पदाधिकारी–7/ श्री चौधरी सूर्यभूषण, निरीक्षक मद्यनिषेध, ग्रुप सेंटर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.26

सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।